298
8/8/15

Para Medical

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः एफ.7(3)पैरा मेडि. / डी.एम.ई. / 2015 / 2948 दिनांक 25 JUN 2015 30/7/2015

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
जयपुर।

विषयः– भारत सरकार योजना के तहत संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज एवं नये पैरामेडिकल कोर्सेज में प्रवेशित छात्रों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण।

संदर्भः– आपका पत्रांक 8294 दिनांक 20.03.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत प्राप्त प्रस्तावानुसार नये पैरामेडिकल कोर्सेज में प्रवेशित छात्रों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का अनुमोदन निम्नानुसार किया जाता है :–

S. No.	Course	General/OBC Category Fees		SC/ST/GIRLS Category Fees	
		Fees	Caution money	Fees	Caution money
1.	Diploma in Medical Lab Technician	Rs. 25,000/-	Rs. 1,000/-	Rs. 12,500/-	Rs. 1,000/-
2.	Diploma in X-Ray Technician				
3.	Diploma in Ophthalmic Technician				
4.	Diploma in ECG Technician				
5.	B.Sc. (Radiation Technology)	Rs. 21,000/-	Rs. 5,000/-	Rs. 10,500/-	Rs. 5,000/-
6.	B.Sc. (Ophthalmic Techniques)				
7.	B.A.S.L.P. (Bachelor of Audiology and speech Language Pathology)				
8.	B.Sc. Degree in Medical Lab Technology				
9.	B.P.O. (Bachelor in Prosthetic and Orthotic)				
10.	P.G. (M.Sc.) in Radiotherapy Technology	Rs. 90,000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 36,000/-	Rs. 10,000/-
11.	PG Diploma in Perfusion Technology (One year course)				
12.	Post B.Sc. Diploma in Radiation Dosimetry				

(सम्पतमल लोढा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(धन्नालाल)
शासन सहायक सचिव

File
11.8.15

D:/Kunal Nagar gi Acad. fold./ /Letter

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन : 0141–2973804, 2988946 **Website:** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/3110 दिनांक :19/8/19

प्रधानाचार्य,
संबद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्था,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2019–20 की **प्रथम काउन्सलिंग** के अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2019–20 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग आयोजित की जा चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटित किये गये है। प्रथम काउन्सलिंग में चयनित सभी अभ्यर्थियों को **दिनांक 28.08.2019 सांयकाल 05.00 बजे** से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय/संस्था में देनी है। निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें।
2. मिलान के पश्चात् छायाप्रति रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थी की 10वीं व 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र, प्रवास प्रमाण–पत्र (Migration Certificate), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी Medical Fitness Certificate व अन्य दस्तावेज जो **अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों या अभ्यर्थी द्वारा संबंधित आरक्षित श्रेणी में आरक्षण का लाभ लिया गया हो जैसे EWS Certificate/P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हो**, के मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्था अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवाये। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।
3. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिका का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे।
4. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन सूची में नाम होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जायें तथा राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को इस संबंध में ईमेल (rpmc.helpdesk@gmail.com) के माध्यम से तुरन्त अवगत कराया जावे।
5. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल विज्ञान आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
6. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2019 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।
7. संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किये जायेगाः–
   A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year
   B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)
   C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)
8. महाविद्यालय/संस्था द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर तत्समय ही इसकी प्राप्ति रसीद जारी करनी होगी।
9. सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर भी अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अपेक्षित होगा।

19/8/19

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट न. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक:पैरामेडि.कौं/मान्यता/2019/1016 दिनांक 03-06-19

–::आदेश::–

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की असाधारण बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 821 दिनांक 26.04.2019 एवं 822 दिनांक 26.04.2019 की पालना में राजकीय एवं वर्तमान में राज्य सरकार से मान्यता कॉलेजों द्वारा दिनांक 13.05.2019 तक नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा निम्न पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को निम्न डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है :–

Sr. No.	University /College Name	Address	Government /Private	Course Name	Seats Alloted	Session
1	Sardar Patel Medical College	Nagnechi Road, Bikaner	Government	Diploma in Radiation Technology	25	2019-20
				Diploma in Operation Theatre Technology	25	
				Diploma in Medical Lab. Technology	25	
2	RUHS College of Medical Sciences	Sector-11, Pratap Nagar, Jaipur	Government /University	Diploma in ECG Technology	25	2019-20
				Diploma in Operation Theatre Technology	25	
3	Jawahar Lal Nehru Medical College	J.L.N. Medical College, Near Patel Stadium, Ajmer	Government	Diploma in Medical Lab. Technology	25	2019-20
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in Ophthalmic Technology	25	
				Diploma in ECG Technology	25	
4	SMS Medical College	J.L.N. Marg, Jaipur	Government	Diploma in Ophthalmic Technology	25	2019-20
				Diploma in Dialysis Technology	25	
				Diploma in Medical Lab. Technology	25	
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in ECG Technology	25	
5	Institute of Medical Technology & Nursing Education	10A, Swasthya Kalyan Bhawan, Sitapura Industrial Area, Near Mahatama Gandhi Hospital, Sitapura, Jaipur	Private	Diploma in Medical Lab. Technology	25	2019-20
				Diploma in Radiation Technology	25	
				Diploma in Ophthalmic Technology	25	

Put up to P&C
4.6.19

1088
2417

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. – 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / मान्यता / 2019 / 1970 पैरामेडिकल 24/7/19 दिनांकः24/7/19

P&C 24/7/19

–ःःआदेशःः–

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की असाधारण बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 821 दिनांक 26.04.2019 एवं 822 दिनांक 26.04.2019 की पालना में राजकीय एवं वर्तमान में राज्य सरकार से मान्यता कॉलेजों द्वारा दिनांक 13.05.2019 तक नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया था। निम्न संस्था द्वारा Diploma in Cardiac Instrument Technology का आवेदन प्रस्तुत करने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के पत्र क्रमांक 1893 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा Diploma in Cardiac Instrument Technology का सिलेबस परिभाषित न होने के कारण अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। निम्न संस्था के पत्र क्रमांक 35957 दिनांक 16.07.2019 के द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार निम्न पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान को निम्न डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है :–

Sr. No.	University /College Name	Address	Government/ Private	Course Name	Seats Alloted	Session
1	Jawahar Lal Nehru Medical College, Near Patel Stadium, Ajmer	Ajmer	Government	Diploma in Cath Lab. Technology	25	2019-20

यह पूर्णतः अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 एवं 28 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है –

1. पाठ्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापो का संचालन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और संस्था द्वारा नियमों / विनियमों / निर्देशों का उल्लघन पाया गया तो संस्था की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. मान्यता प्राप्त संस्था को प्रति डिप्लोमा कोर्स के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल और संस्था के संयुक्त नाम की 75,000/– रूपये प्रति कोर्स की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में दिनांक 05–08–2019 तक जमा करानी होगी।
4. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा मांगी गई सूचनाएं संस्था द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
5. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
6. आगामी छः माह में निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 25 सीटें आवंटित की गई हैं।

नोटः–उपरोक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति बिना निरीक्षण कराये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के आदेश संख्या 12744 दिनांक 25.09.2018 के द्वारा पूर्व में उनके द्वारा अनुमोदित होने के कारण राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट, 2008 की धारा 28(5) के अन्तर्गत निरीक्षण में शिथिलता प्रदान की जाकर अनुमति प्रदान की जा रही है।

Put upto P&C & forward to HOD Cardiology. 26.7.19

क्रमांक : पैरामेडि/एमसीए/19 दि० 24/7/19

छायाप्रति विभागाध्यक्ष, कार्डियोलोजी विभाग, इस महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रजिस्ट्रार

कृ.प.उ.